न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/45)

ललित कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरोज पत्नी स्व. रमेंश बलाना पुत्री स्व. मुरालीलाल जी अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. वीना पत्नी श्री महावीर प्रसाद मिढा पुत्री स्व. मुरालीलाल जी अरोड़ा निवासी श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।
3. अनिता पत्नी रूपचन्द भटेजा पुत्री स्व. मुरारीलाल जी अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. किरण पत्नी श्री सुभाष जुनेजा पुत्री स्व.मुरारीलाल जी अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 9 गजसिहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. सिमरण पत्नी श्री धीरज कुमार अदलखा पुत्री स्व. श्री मुरालीलाल अरोड़ा निवासी 4–डी–14 जवाहर नगर श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर।
6. वन्दना पत्नी श्री जितेन्द्र छाबड़ा पुत्री स्व. मुरारीलाल जी अरोड़ा निवासी 4–ई–300 जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेरं

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सलावत खान | – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2,
3. श्री निमेश सुथार | 3, 5, 6
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 03.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ प्र.सं. संख्या 48/14 के निर्णय दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार अनूपगढ में मुताबिक वसीयत के इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के पिता के नाम रकबा वाके चक 72 जीबी तहसील अनूपगढ का मु.नं. 273/436 का किला नं. 1 ता 25 का 6.075 हैक्टर रकबा वा मु. नं 265/437 का किला नं. 2, 3, 9 ता 11, 20, 21 का 1.570 हैक्टर कुल 7.645 हैक्टर रकबा नहरी खातेदारी था जिसकी उन्होने जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में वसीयत करवाई हुई है। पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अतः उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रकबा का इंतकाल मुताबिक वसीसत प्रार्थी के नाम से दर्ज जाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार अनूपगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.09.2014 द्वारा वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। निर्णय दिनाक 30.09.2014 के विरूद्व अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.09.2014 को खारिज कर आराजी जैर अपील का इंतकाल अपीलान्ट के हक में तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 4 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक निमेष सुथार की ओर से जरिये अधिकार पत्र सलावत खान अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस की।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता मुरारीलाल अरोड़ा के नाम चक 72 जीबी के पत्थर नं. 273/436 में 6.075 हैक्टेयर एवं पत्थर नं. 265/437 में 1.570 हैक्टेयर कुल 7.645 हैक्टेयर भूमि खातेदारी है। अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.06.2013 को अपीलान्ट के हक में उक्त भूमि की वसीयत तहरीर कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाई हुई है। अपीलान्ट के पिता का दिनांक 27.07.2013 को देहान्त हो चुका है, इसलिए वसीयत के आधार पर उसके हक में इंतकाल दर्ज किये जाने का तहसीलदार अनूपगढ के समंक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र सीमा किरण में प्रकाशित करवाये। मुरारीलाल के सभी वारिसान को नोटिस से तलब किया। उन्होने ऐतराज किया कि हमारे पिताजी पढे लिखे व्यक्ति थे। वे 2 दफा अनूपगढ नगर पालिका के चेयरमेन रह चुके है उनकी वसीयत पर उनके हस्ताक्षर न होकर अंगूठा लगा हुआ है जिससे जाहिर है कि वसीयत कूटरचित फर्जी है। उनके इस ऐतराज को सही मानते हुए अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कतई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गलत एवं खिलाफ कानून है। जबकि वसीयत बिल्कुल सही है कूटरचित नही है, वसीयत पर अपीलान्ट के पिता वसीयत करते समय बीमारी की वजह से हस्ताक्षर करने में असमर्थ होने के कारण ही अपना अंगूठा निशान लगाया है और इसका उल्लेख भी वसीयत मे किया हुआ है। मात्र अंगूठा लगा हुआ होने से वसीयत को कूटरचित नही माना जा सकता है। अपीलान्ट ने अपनी वसीयत साबित करने के लिये अदालत मातहत के समक्ष नोटेरी पब्लिक जिसके द्वारा वसीयत तस्दीक की गई है। उसका शपथ पत्र, दोनो गवाहो के शपथ पत्र पेश किये थे उनके विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने कोई सबूत पेश नही किये और न ही अपीलान्ट द्वारा पेश सबूतो का खण्डन किया। अदालत मातहत को वसीयत की वैधता के बारे में जांच करने का कोई अधिकार नही है। वसीयत फर्जी कूटरचित होने की बाबत सिविल कोर्ट ही निर्णय कर सकती है। यदि रेस्पाडेन्ट वसीयत फर्जी या कूटरचित होना कहते है तो उनको सिविल न्यायालय में वसीयत को चैलेंज करना चाहिए। रेस्पोडेन्ट ने वसीयत जैर अपील के फर्जी होने बाबत कोई मुकदमा या एफ.आई.आर अपीलान्ट के विरूद्व दर्ज नही करवाया है न ही कोई जांच हुई। इसलिए वसीयत में फर्जी होने की अवधारणा नही की जा सकती। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत आदेश दिनांक 30.09.2014 खारिज फरमाया जावे और आराजी जैर अपील का इंतकाल अपीलान्ट के हक में तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2005 पेज 401, RRD 1992 पेज 360, RRD 2014 पेज 613, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5, 6 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने तहसीलदार अनूपगढ में मुताबिक वसीयत के इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रकबा का इंतकाल अपने नाम से दर्ज किये जाने का किया। जिस पर तहसीलदार अनूपगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.09.2014 द्वारा वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सही है। स्व. मुरारीलाल जी पढे लिखे व्यक्ति थे, अपनी पूरी लाईफ में हस्ताक्षर किये। फिर वसीयत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर अंगूठा केसे लगा सकते है, ये अपने आप पर बहुत बड़ी संदिग्ता है। वसीयत कर्ता की 6 लड़किया में से कोई भी वसीयत के समय हाजिर नही थी, ये वसीयत को फर्जी होने का बहुत बड़ा सबूत है। दिनांक 28.06.2013 को वसीयत कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर बनाई गई और दिनांक 27.07.2013 को स्व. मुरारीलाल अरोडा का देहान्त हो गया। दिनांक 30.09.2014 को तहसीलदार अनूपगढ ने वसीयत प्रार्थना पत्र को फर्जी मानते हुए विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश दे दिया। दिनांक 07.10.2014 को आदेश दिनांक 20.09.2014 की पालना की जाकर विरासतन इंतकाल दर्ज किया गया। अपीलान्ट ने आज दिन तक 07.10.2014 के आदेश को किसी भी न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है जो वर्तमान मे बार्ड बाई लिमिटेशन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपीलान्ट की अपील Heavy Cost के साथ खारिज की जावे ।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के निर्णय दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें वसीयती प्रार्थना पत्र खारिज कर विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पटवारी 72 G.B. की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2013 अनुसार चक 72 G.B. का मु.नं. 273/436 का 6.075 है., 265/437 का 1.570 है. कुल 7.645 नहरी रकबा मुरारीलाल पुत्र भानीराम कौम अरोड़ा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा श्री मुरारीलाल फौत हो चुका है। नगरपालिका अनूपगढ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार मुरारीलाल पुत्र भानीराम के कुल 7 वारिस है जिनमे एक पुत्र व शेष पुत्रिया है। अपीलान्ट द्वारा मुरारीलाल की मृत्यु दिनांक 21.07.2013 को होना व दिनांक 28.06.2013 को वसीयत किया जाना प्रतिवेदित किया है। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अनूपगढ द्वारा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष व अपीलान्ट के पिता द्वारा नगरपालिका की कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर किए जाने की पुष्टि की है जबकि वसीयत में श्री मुरारीलाल का अगुठा लगा हुआ है। श्री मुरारीलाल के 7 मे सें 6 वारिसान ने वसीयत को कूटरचित बताया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है व जीवनकाल में कभी भी श्री मुरारीलाल द्वारा अगुठा नही लगाना व हमेशा हस्ताक्षर किया जाना प्रतिवेदित किया है। साथ ही किसी भी संक्षम सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता का विनिश्चय किया जाना पत्रावली पर नही पाया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो के तहत पिता की संपत्ति पर सभी विधिक वारिसान का हक –हिस्सा निहित होता है। उक्त परिपेक्ष्य मे विरासतन नामान्तकरण संबधी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर